(142)

प्रति,

श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी,

राजस्व मण्डल ग्वालियर

R 2985-I/14

1. जयसिंह आत्मज नरसिंह राजपूत,
निवासी– जूना बघाना, तहसील व जिला नीमच ....अपीलार्थी

क्रमांक 2889 ... द्वारा आज 6-9-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती चन्द्रीबाई पति रामगीर गुसाई,
निवासी– जूना बघाना तहसील व जिला नीमच
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर नीमच ....प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टांपस एवं जिला पंजीयक नीमच के प्रकरण कमांक 10/बी–103/धारा(33–40)/2011–12 दिनॉक 21/09/2012

मान्यवर महोदय,

सेवा में अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि अपीलार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थी कमांक 1 के द्वारा ग्राम बघाना तहसील व जिला नीमच स्थित कृषि भूमि रकबा 0.137 हेक्टर विकय धन 65000/– अक्षरे पैंसठ हजार रूपये में विकय किये जाने का अनुबंध दिनॉक 18.07.2006 को लिखा गया था। जो कि प्रत्यर्थी कमांक 1 के द्वारा अपीलार्थी के हित में 450/– रूपये के मुद्रांक पर निष्पादित किया गया था, उक्त अनुबंध के अनुसार विकयधन में से 45000/– रूपये विकेता ने अपीलार्थी से प्राप्त कर लिये थे और शेष 20 हजार रूपये वक्त रजिस्ट्री प्राप्त किये जाने थे, जिस कारण से अनुबंध पत्र 450 रूपये के मुद्रांक पर निष्पादित किया गया था।

उक्त अनुबंध के संबंध में एक वाद प्रकरण कमांक 32ए/2011 जयसिंह विरूद्ध कॅवरलाल आदि न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार उक्त अनुबंध पत्र सम्यक रूप से स्टाम्पित किये जाने हेतु जिला पंजीयक के यहॉ पर भेजा गया था। जिला पंजीयक ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जिसका समुचित एवं सत्य उत्तर अपीलार्थी के द्वारा दिया गया। बाद में अपीलार्थी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण से अपीलार्थी प्रकरण में उपस्थित नहीं हो पाया जिस कारण से जिला पंजीयक नीमच के द्वारा दिनॉक 29.09.2012 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए उक्त दस्तावेज का बाजार मूल्य का अवधारण 458000/– स्लेब

142

151

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2985-एक/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 31-10-2014 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	